उत्तराखण्ड शासन

गृह अनुभाग–04

अधिसूचना

08 अगस्त, 2025 ई0

संख्या–439/XX-4/2025-E-90406–राज्यपाल, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988) के अध्याय–2, धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा–3(1) सपठित धारा–4(2) के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों के विचारण हेतु श्री मदन राम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–तृतीय, देहरादून को उनके वर्तमान प्रभार के साथ विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) के न्यायाधीश के रूप में पदाभिहित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
शैलेश बगौली,
सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 23–08–2025, भाग 1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 27 गृह /385–08–09–2025–50 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)